भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4132
17 मार्च 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **प्रस्तावित बीज विधेयक, 2025 का प्रभाव**

4132. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रस्तावित बीज विधेयक, 2025 को संसद में पेश करने से पहले लघु एवं सीमांत किसानों पर इसके पूर्ण प्रभाव आकलन को जारी करेगी;

(ख) किसानों के अपने बीजों को बिना किसी देयता के सहेजने और पुनः उपयोग करने के अधिकार के रक्षण के लिए विधेयक में कौन से संरक्षात्मक उपाय शामिल किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने बीज परीक्षण और क्षेत्रीय अनुकूलता प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है और यदि हां, तो परामर्श और पुनरीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित विनियामक परिवर्तनों के प्रभावी होने पर छोटी जोत वाले किसानों के लिए किफायती बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने धारा 38 और 41 के अधीन कृषि, जो राज्य का विषय है, में राज्यों की संवैधानिक भूमिका को क्षीण करने वाली केंद्र सरकार की शक्तियों की जांच की है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व-विधायी परामर्श हेतु बीज विधेयक का मसौदा सार्वजनिक किया गया था तथा किसानों, राज्य सरकारों, किसान संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। किसानों के हितों और आजीविका की रक्षा के लिए इन सुझावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

बीज विधेयक के मसौदे का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति को सुगम बनाना, बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता को विनियमित करना, किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नकली और खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह मसौदा विधेयक, पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 2001 का पूरक है, जो पहले से ही किसानों के अधिकारों और पारंपरिक किस्मों की रक्षा करता है।

इसके अतिरिक्त, बीज विधेयक का मसौदा राज्य सरकारों की भूमिका को कमज़ोर नहीं करता है; बल्कि प्रस्तावित कानून के कार्यान्वयन, प्रवर्तन और विनियमन में राज्यों की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ एक सहयोगात्मक संघीय दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है।
